बंसीलाल

बनाम

स्टेट ऑफ हरियाणा

[क्रिमीनल अपील नम्बर 1322/2004]

जनवरी 14, 2011

[पी.सतशिवम और डॉ. बी. एस. चौहान, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 498ए-विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या-दहेज की मांग को लेकर पति के खिलाफ दुर्व्यवहार और क्रूरता का आरोप-पीड़ित-मृतक ने वैवाहिक जीवन छोड़ दिया तथा वह लागातार 14 महीने अपने माता पिता के साथ रही-वह केवल पंचायत के इस आश्वासन पर पुनः वैवाहिक घर में गई कि अभियुक्त व उसके परिवार के सदस्य उसे अपमानित व क्रुरतापूर्वक व्यवहार नहीं करेगे-शादी के तीन साल बाद उसने आत्महत्या कर ली- धारा 498ए के तहत दोषसिद्वि-निर्णय को चुनौति-निर्णितः धारा 498ए के तहत मामले पर विचारण करते समय मृत्यु के समय की निकटता के दौरान क्रुरता साबित की जानी चाहिए और यह निरंतर होनी चाहिए जिससे कि मृतक का जीना दुर्भर हो जाये कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए-हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा मृत्यु के निकट स्कूटर की मांग

की गई थी। स्कूटर की मांग लगातार बनी हुई थी, क्योंकि मृतक के पिता व भाई ने विशेष रूप से यह कहा था कि मांग केवल स्कूटर के सम्बन्ध में थी और कुछ नहीं-उक्त दोनो गवाहों से विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया, हालांकि, उनसे कुछ भी पता नहीं चल सका जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा लगाये गये आरोप झूठे हो सकते हो-दोषसिद्वि की पुष्टि की गई-धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम, 1872

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

धारा 113 ए और धारा 113 बी- के बीच में अंतर।

धारा 113 बी-आवश्यक घटक-विचार किया गया ।

साक्ष्य:

सुसाइड नोट-साक्ष्यात्मक मूल्य-तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया गयाः सुसाइड नोट के लेखन के किसी गवाह को पेश कर साबित नहीं किया गया तथा ना ही उक्त दस्तावेजात के हस्तलेखन विशेषज्ञ के पास मृतक के स्वीकृत हस्ताक्षर से जांच करने हेतु भेजा गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक व उक्त नोट में किसी प्रकार की कोई कड़ी स्थापित नहीं की गई- अभियुक्त का यह दायित्व था कि वह उपधारणा का खण्डन करने हेतु पर्याप्त सबूत पेश करके अपना बचाव साबित करता-अधीनस्थ न्यायालयों ने यह सही माना है कि उक्त नोट को नजरअंदाज किया जाना चाहिए-दंड संहिता, 1860- 304 बी, 498 ए।

अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि पीड़ित-मृतक की अपीलार्थी से शादी 04.04.1988 को हुई थी। शादी के एक साल बाद मृतका आकर अपने माता पिता के साथ 14 महिने रही और करीबी रिश्तेदारों की पंचायत बुलाने के बाद वह पुनः अपने ससुराल लौटी। दिनांक 25.06.1991 मृतक के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसके तहत अपीलार्थी के द्वारा मृतक के साथ निरंतर क्रुरता की जा रही थी तथा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया जिससे की मृतक द्वारा आत्महत्या की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व उसकी माता को आरोप अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, 306 औईपीसी के तहत दोषसिद्व घोषित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की माता को दोषमुक्त घोषित किया गया किन्तु अपीलार्थी की हद तक अपील खारिज कर दी गई।

हस्तगत अपील के जरिये अपीलार्थी द्वारा यह बचाव रखा गया कि स्कूटर और दहेज की मांग नहीं थी। मृतक किसी अन्य व्यक्ति से शादी करना चाहती थी तथा अपीलार्थी से उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी जिसके कारण उसे घुटन महसूस हुई और उसने इस आशय का एक सुसाइड नोट प्रदर्शपी.2 छोड़कर आत्महत्या कर ली। अपील खारिज की गई-हस्तगत न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित:

1. मृतक के प्रेम सम्बन्ध होने की कहानी पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अविश्वास जताया गया। प्रदर्शपी.2 तथाकथित सुसाइड नोट जो कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा बरामद किया गया था, को इस साधारण कारण से साक्ष्य के रूप में विचार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस दस्तावेजात का मृतक से कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष की ओर से नाम मात्र ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, जो यह संकेत दे सकता हो कि Ex.P-2 पर लिखावट, वास्तव में, मृतक के हाथ की थी। मृतक के पिता व भाई, जब गवाह-बॉक्स में आए तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि दस्तावेज़ Ex.P-2 मृतक सरला के हाथ से लिखा गया है। यहां तक कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी इन गवाहों से इस दस्तावेज़ के लेखक के बारे में कोई विशेष प्रश्न/सुझाव नहीं दिया, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अनुसंधान अधिकारी एएसआई अर्जुन सिंह यादव ने इसे उनके घर की अलमारी से अपने कब्जे में ले लिया था । अनुसंधान अधिकारी (पीडब्ल्यू 6) ने अपनी जिरह में कहा है कि डायरी, पत्र और बॉल-पेन कमरे में पड़े थे और उन्होंने उक्त पत्र Ex.P-2 के लेखक के बारे में पूछताछ की और यह पता चला कि यह मृतक द्वारा ही लिखा गया था। इस कथन को सुनी सुनाई साक्ष्य कहा जा सकता है, जिसकी कानून में कोई ग्राहयता नहीं है क्योंकि मुख्य गवाहों से इसके लेखक के बारे में पूछा नहीं गया। श्याम लाल और गुलशन पीडब्लू को दिया गया मात्र एक सुझाव कि सरला ने

किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने संबंधों के बारे में एक सुसाइड नोट छोड़ा है, हमें कहीं नहीं ले जाता है। इस पत्र के लेखक को या तो किसी गवाह को पेश करके साबित किया जा सकता है जिसने मृतक को लिखते और हस्ताक्षर करते देखा हो या उक्त दस्तावेज़ को मिलान के लिए सरला मृतक की स्वीकृत लिखावट के साथ किसी हस्तलेखन विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। दोनों ही स्थितियाँ गायब हैं। यहां तक कि अनुसंधान अधिकारी भी इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहते हैं कि उन्होंने उक्त पत्र के लेखक होने के बारे में किससे पुष्टि की थी। यदि इस दस्तावेज़ को प्रमाणित मान लिया जाता है, तो यह साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करने जैसा होगा । इस पत्र की बरामदगी के पंचनामे के गवाहों को परीक्षित नहीं करवाया गया है। श्याम लाल (पीडब्लू.4) और गुलशन (पीडब्लू.5) दोनों ने ऐसे किसी भी पत्र की बरामदगी के सुझाव से इनकार किया है और न ही सरला (मृतक) की लिखावट की पहचान के लिए उन्हें पत्र दिखाए गए थे। यहां तक कि, यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि वह शिक्षित थी। अर्जुन सिंह, एएसआई (पीडब्लू.6) ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि वह सरला (मृतक) की लिखावट जानता था और न ही उसने यह खुलासा किया है कि किसकी जानकारी पर उसने अनुमान लगाया था कि पत्र सरला (मृतक) द्वारा लिखा गया था। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में ऐसे पत्र की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और पत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इससे भी अधिक, इसका कोई

संभावित मूल्य नहीं है क्योंकि यह कोई मामला नहीं है कि कथित सुसाइड नोट सरला (मृतक) की लिखावट में है। स्पष्ट रूप से, सुसाइड नोट, प्रदर्शपी-2 जिसे सरला (मृतक) द्वारा लिखा होना बताया गया है, उसे अभियुक्त द्वारा धारा 313 सीऔरपीसी के तहत बयान लेखबद्ध करवाते समय अपने बचाव के रूप में लिया गया था। इस प्रकार, यह दायित्व उस पर था कि वह इस उपधारणा का, कि उसने दहेज हत्या की है, खण्डन करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करके अपना बचाव स्थापित करता। अपीलार्थी उस दायित्व का निर्वहन करने में बुरी तरह से विफल रहा। इस प्रकार बंसीलाल अपीलार्थी का बचाव बहुत कमजोर और नाजुक हो जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण कि प्रदर्शपी.2, सुसाइड नोट विचार करने योग्य नहीं था, के विपरीत विचार करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता है। [पैरा 11,12,13,19]] [734 एच; 735-जी-एच; 736-ए-एच-; 737-ए-एफ-एच; 738-ए-बी]

2.1 स्कूटर की मांग लगातार बनी हुई थी क्योंकि श्याम लाल (पीडब्लू.4) और गुलशन (पीडब्लू.5) ने विशेष रूप से कहा था कि मांग केवल स्कूटर के संबंध में थी और कुछ नहीं। यदि यह आरोप झूठा होता, तो उक्त गवाह अन्य वस्तुओं का भी उल्लेख कर सकते थे जिनकी कथित तौर पर अपीलार्थी या उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मांग की गई थी। इसलिए इस मसले पर इन दोनों गवाहों की साक्ष्य की सत्यता पर

संदेह नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी की और से दोनों गवाहों से लंबी जिरह की गई, हालांकि, उनसे ऐसा कुछ भी पता नहीं चल सका जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप झूठे प्रतीत होते हो। [पैरा 14] [738 -ए- बी]

2.2 धारा 498-ए के तहत मामले पर विचार करते समय, मृत्यु के समय की निकटता के दौरान क्रूरता साबित की जानी चाहिए और यह निरंतर होनी चाहिए और अभियुक्त द्वारा इस तरह के निरंतर शारीरिक या मानसिक, उत्पीड़न हो कि मृतक का जीना दुर्भर हो जाए, जिससे कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। मौजूदा मामले में, अभियुक्त के आचरण ने मृतक सरला को शादी के एक साल बाद ही अपना वैवाहिक घर छोड़ने और लगातार 14 महीने तक अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया। पंचायत द्वारा दिए गए आश्वासन पर ही, कि अभियुक्त या उसके परिवार के सदस्य मृतक सरला को अपमानित नहीं करेंगे व उसके साथ क्रूरता नहीं करेंगे, वह अपने वैवाहिक घर में वापस आ गई। यह गुलशन (पीडब्लू.5) का विशिष्ट साक्ष्य है कि उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले, जब वह अपनी बहन से मिलने गया था, तो अपीलार्थी द्वारा स्कूटर की मांग की गई थी। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, हमें अपीलार्थी की ओर से की गई दलील में कोई दम नहीं दिखता कि मृत्यु के निकट स्कूटर की कोई मांग नहीं की गई थी। [पैरा 15] [738- बी-ई]

2.3 साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत विधायिका ने अपने विवेक से "करेगा" शब्द का उपयोग किया है, जिसके कारण न्यायालय को यह अनिवार्य रूप से उपधारणा करनी होगी कि मृत्यु उस व्यक्ति द्वारा कारित की गई थी जिसने उसके साथ दहेज की मांग को लेकर या उसके सम्बन्ध में क्रुरता कारित की या तंग किया। यह प्रावधान धारा 113 ए साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान के विभिन्न है, जहां न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा कर सकेगा। इस प्रकार, उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए, उपधारणा को खण्डन करने का भार अभियुक्त पर है तथा धारा 113 बी से सम्बन्धित धारा 304 भारतीय दंड संहिता के मामले में साबित करने का भार विशेष व भारी रूप से अभियुक्त पर अंतरित हो जाता है। एकमात्र शर्त यह है कि महिला की मृत्यु किसी प्राकृतिक परिस्थिति के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो; कि मृत्यु उसकी शादी के 7 साल के भीतर हुई हो या कारित की गई हो; तथा ऐसी महिला को दहेज की किसी मांग के संबंध में उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा हो। इसलिए, यदि ऐसी मृत्यु के आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह उपधारणा कि अभियुक्त ने दहेज हत्या की है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि उनकी मृत्यु से पहले दिखाई गई अभिव्यक्ति को किसी भी क़ानून में परिभाषित नहीं

किया गया है। इसलिए, प्रत्येक मामले में, न्यायालय को जिन तथ्यों एवं परिस्थितियों में पीड़िता की मृत्यु कारित हुई, यह विश्लेषण करके तय करना होगा कि क्या दहेज कि मांग व क्रुरता व उत्पीड़न के कार्य व मृत्यु के मध्य कोई भी निकटतम संबंध है। [पैरा 16 से 18] [738-एफ-एच; 739-ए-जी]

टी. अरुणपेरुनजोथी बनाम एस. एच. ओ., पांडिचेरी के माध्यम से राज्य AIR 2006 SC 2475; देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य AIR 2008 SC 332; राजस्थान राज्य बनाम जग्गूराम AIR 2008 SC 982;आनंद कुमार बनाम एम. पी. राज्य, AIR 2009 SC 2155; उंडवल्ली नारायण राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, AIR 2010- SC 3708- अवलोकन किया गया।

न्यायिक दृष्टांत जिनका अवलोकन किया गयाः

AIR 2006 SC 2475	अवलोकन किया गया	Para 18
AIR 2008 SC 332	अवलोकन किया गया	Para 18
AIR 2008 SC 982	अवलोकन किया गया	Para 18
AIR 2009 SC 2155	अवलोकन किया गया	Para 18
AIR 2010 SC 3708	अवलोकन किया गया	Para 18

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या 1322/2004

उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा चण्डीगढ़ के द्वारा आपराधिक अपील संख्या 708-एसबी, 1998 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.04.2004 से।

अपीलार्थी की और से- महाबीर सिंह, ऋषि मल्होत्रा, प्रेम मल्होत्रा

प्रत्यर्थी की और से-मंजीत सिंह, ए.ए.जी., राव रंजीत, हरिकेश सिंह, कमल मोहन गुप्ता।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

न्यायाधिपति डॉ. बी. एस. चौहान

1. यह आपराधिक अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के दिनांक 05.05.2004 के आपराधिक अपील सं. 708-एस.बी., 1998 के फैसले व आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधी, गुड़गांव द्वारा फैसले व आदेश दिनांकित 22.08.1998 व 25.08.1998 के तहत अपराध अन्तर्गत धारा 498-ए, 304-बी और 306 भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'औईपीसी' के रूप में संदर्भित), के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसके तहत दो साल का कठोर कारावास व 500/- रूपये जुर्माना राशि व अदम अदायगी में अतिरिक्तदो माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया था, की पुष्टि की गई थी। हालांकि, अपराध अन्तर्गत धारा 304 बी औईपीसी के तहत दस साल की सजा और 2000/- रूपये के जुर्माना राशि, अदम

अदायगी में अतिरिक्त छः माह का कठोर कारावास की सजा को घटाकर सात साल कर दिया गया था।

2. हस्तगत प्रकरण के दायर किये जाने के पीछे यह तथ्य और परिस्थितियाँ थी कि, अपीलार्थी की शादी 04.04.1988 को सरला (मृतक) से हुई थी। श्याम लाल (पीडब्लू. 4), सरला (मृतक) के पिता द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.06.1991 को दर्ज करवाई गई थी, जिसके तहत अपीलार्थी, उसकी मां, भाई व भाभी के उपर यह आरोप लागए गए थे कि वह उसकी बेटी सरला (मृतक) को दहेज में एक स्कूटर की मांग को लेकर निरंतर परेशान कर रहे थे। उसके साथ उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। शादी के एक साल बाद सरला (मृतक) अपने परिवार के साथ लगभग 14 महीने तक आकर रही। करीबी रिश्तेदारों की पंचायत बुलाने के बाद ही वह अपने ससुराल लौटी थी। उन्होंने फिर से दुर्व्यवहार किया और स्कूटर की मांग पर जोर दिया, इस प्रकार, दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता, उत्पीड़न इस हद तक किया गया कि उसने 25.06.1991 को अपने वैवाहिक घर में आत्महत्या कर ली।

3. मामले की जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी और उसकी मां श्रीमती शांतिदेवीके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया तथा उनके खिलाफ आईपीसी की धारा498ए, 304बी और 306 के तहत आरोप लगाये गये। उक्त दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया, इस प्रकार, उन पर मुकदमा

चलाया गया। 17.05.1995 को, अभियोजन पक्ष के गवाहों की साक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद इसे सीऔरपीसी कहा जाएगा) की धारा 319 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्य दो अभियुक्त अशोक कुमार, भाई और श्रीमती शकुंतला, अपीलार्थी की भाभी को तलब किया और 06.07.1995 के आदेश के तहत सभी चार आरोपियों के खिलाफ धारा 498 ए, 304 बी और 306 आईपीसी के तहत फिर से आरोप विरचित किये गये।

4. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता श्याम लाल (पीडब्लू.4), गुलशन (पीडब्लू.5), सरला (मृतक) के भाई, डॉ. बीबी अग्रवाल (पीडब्लू.1), श्री अर्जुन सिंह यादव, एएसआई, (पीडब्लू.6), कांस्टेबल जय पाल (पीडब्लू.2), श्री मूलचंद पुनिया, ड्राफ्ट्समैन (पीडब्लू.3), और अन्य औपचारिक गवाहों काे परीक्षित करवाया।

5. सीऔरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान देते समय, अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया और निम्नानुसार बचाव लिया कि "सरला किसी और व्यक्ति से प्यार करती थी। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अभियुक्त बंसी लाल से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके कारण वह घुटन महसूस करती थी और उसने इस आशय का एक सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली। स्कूटर

की कोई मांग नहीं थी।" इसके अलावा, अभियुक्त अशोक कुमार (ए.3) और शकुंतला (ए.4) ने दलील दी कि वे अपीलार्थी और उसकी मां से अलग रह रहे थे और जहां तक दहेज की मांग का सवाल है, उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। बचाव में केवल तीन गवाह यानी एचएसईबी के एक अधिकारी बाल किशन (DW.1), खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक निरीक्षक विद्या नंद (DW.2) और गांव ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेंद्र सिंह (DW.3) थे, को केवल यह साबित करने के लिए परीक्षित करवाया गया कि अभियुक्त अशोक कुमार (ए.3) और शकुंतला (ए.4) अपीलार्थी और उसकी मां श्रीमती शांति देवी से अलग रह रहे थे।

6. पत्रावली पर मौजूद सभी सबूतों और अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और उसकी मां श्रीमती शांति देवी को आरोप अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी और 306 औईपीसी में दोषी ठहराया तथा उपरोक्त धाराओ में सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अशोक कुमार और शकुंतला को उनके खिलाफ सभी आरोपों से बरी कर दिया। विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 306 के तहत कोई अलग सजा नहीं दी।

7. अपीलार्थी और उसकी माँ श्रीमती शांति देवी द्वारा व्यथित होकर आपराधिक अपील संख्या 708-एसबी, 1998 पेश की, जिसे 05.05.2004 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा निस्तारित किया गया, जिसके तहत

श्रीमती शांति देवी को बरी कर दिया गया, क्योंकि दहेज में केवल स्कूटर की मांग की गई थी, जिसकी लाभार्थी वह नहीं थीं, लेकिन जहां तक वर्तमान अपीलार्थी का संबंध है, उन्होंने अपील खारिज कर दी। हालांकि, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए औईपीसी की धारा 304-बी के तहत सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया गया था। इसलिए, यह अपील दायर की गई।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महाबीर सिंह ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक प्रावधान के तहत कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। उत्पीड़न मृत्यु के समय के निकट नहीं था। अभियोजन पक्ष ने स्वयं प्रस्तुत किया था कि सरला(मृतक) किसी शिव प्रकाश सिंह से शादी करना चाहती थी और इस प्रकार, वह अपीलार्थी के साथ खुश नहीं थी। उसने इस आशय का एक सुसाइड नोट छोड़ा था और उक्त नोट को विचारण न्यायालय के समक्ष Ex.P2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। अत: अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राव रणजीत द्वारा अपील का पुरजोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा गया है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियो में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज

किये गये तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नहीं है। सुसाइड नोट Ex.P2 को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि वह विधि की अपेक्षा के अनुसार साबित नहीं हुआ है। ऐसे किसी गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है जिसके द्वारा मृतक की लिखावट का मिलान किया गया हो तथा ना ही उस पर मृतक के हस्ताक्षर है। इसे मृतक के पिता यानी श्यामलाल(पीडब्लू.4), शिकायतकर्ता या उसके भाई गुलशन (पीडब्लू.5) को भी नहीं दिखाया गया था। जबकि, धारा 313 सीऔरपीसी के तहत बयान देते समय अपीलार्थी का यह बचाव रहा है। इस प्रकार, अपने बचाव को साबित करने हेतु उसके द्वारा साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, अपील में योग्यता नहीं है और अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. हमारे द्वारा उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत विरोधाभासी तर्को व पत्रावली पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया गया। मामले के स्वीकृत तथ्य इस प्रकार हैं:

(i) 1988 में शादी के शुरुआती चरण में स्कूटर की कोई मांग नहीं थी।

(ii) शिकायतकर्ता श्याम लाल (पीडब्लू.4) और गुलशन (पीडब्लू.5) ने यह गवाही दी कि अपीलार्थी द्वारा स्कूटर की निरंतर तौर पर मांग की जा रही थी।

(iii) शादी के एक साल बाद, जब सरला (मृतक) अपने माता-पिता के घर आई, तो वह 14 महीने की अवधि के लिए उनके साथ रही।

(iv) 14 महीने की इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी द्वारा अपनी नवविवाहित पत्नी को वैवाहिक घर में वापस बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

(v) बहुत करीबी रिश्तेदारों की एक पंचायत बुलाई गई थी और उन्होंने सरला (मृतक) के माता-पिता और परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि अपीलार्थी और उसके परिवार के अन्य सदस्य सरला (मृतक) के साथ उचित व्यवहार करेंगे और उसके साथ दहेज की मांग को लेकर किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार, अपमान व क्रुरता नहीं किया जाएगा।

(vi) इसी आश्वासन पर सरला (मृतक) अपीलार्थी के साथ अपने वैवाहिक घर में रहने के लिए वापस आ गई।

(vii) 25.06.1991 को सरला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

(viii) अपीलार्थी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने शिकायतकर्ता श्याम लाल, (पीडब्लू.4), या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को सरला (मृतक) की मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया।

(ix) श्याम लाल (पीडब्लू.4) और गुलशन (पीडब्लू.5) अन्य व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त होने पर उसके वैवाहिक घर पहुंचे।

(x) श्याम लाल (पीडब्लू.4) ने तुरंत अपीलार्थी और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और कानूनी कार्यवाही शुरू की।

(xi) सरला (मृतक), जब वह अपीलार्थी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रह रही थी, तब वह अपने वैवाहिक घर में मृत पाई गई थी। उन्होंने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किस कारण से और किन परिस्थितियों में उसने आत्महत्या की।

11. जहां तक सरला (मृतक) के प्रेम संबंध होने की कहानी का प्रश्न है, तो इस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अविश्वास किया गया है। विचारण न्यायलय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए इस पर विचार व्यक्त किया:

> "अगर पति को उसके प्रति उसकी निष्ठा पर संदेह था तो उसके लिए अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ मृतिका के माता-पिता के पास 14 महीने रहने के बाद उसे वापस लेने के लिए आने का कोई कारण नहीं था। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मृतिका अपने पति को पसंद नहीं करती थी और कथित तौर पर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी नहीं कर पाने के कारण निराश थी। बल्कि परिस्थितियाँ कुछ और थीं। अगर उसके मन में अपने पति के प्रति नफरत पैदा हो गई होती, तो उसके साथ अपने

वैवाहिक घर से 14 महिने दूर रहने के पश्चात्, वापिस नहीं जुड़ती। उसके पास अपने पति और उसके रिश्तेदारों पर विश्वास करने का हर कारण था कि उससे दहेज की मांग और अन्य यातना और दुर्व्यवहार नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से इतना समय बीतने के बाद, निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि उन्हे बेहतर समझ आ गई होगी। मृतक के माता-पिता ने भी कोई परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि वे इस संबंध में अभियुक्त के आश्वासन से संतुष्ट थे। किसी के साथ उसके प्रेम संबंध होना व अभियुक्त बंशीलाल के साथ उसकी वैवाहिक जीवन में उसकी निराशा को नाटकीय कहानी को किसी भी कीमत पर शायद ही वास्तविक माना जा सकता है। यदि ऐसा था, तो वह अपने कथित प्रेमी के लिए तीन वर्षों तक मरने का इंतजार नहीं कर सकती थी, जबकि वह अपने पति के साथ विवाह संपन्न करने के बाद और वैवाहिक घर में उसके साथ रहने के दौरान पूरे समय उसके साथ रही।"

12. फिर से, उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से विचार किया और निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं:

"विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसंधान अधिकारी द्वारा कथित तौर पर बरामद किए गए नोट, प्रदर्शपी-2 के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरे विचार में, यह दस्तावेज, इस साधारण कारण से साक्ष्य के रूप में विचार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस दस्तावेजात का मृतक से कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष की ओर से नाम मात्र ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, जो यह संकेत दे सकता हो कि Ex.P-2 पर लिखावट, वास्तव में, सरला मृतक के हाथ की थी। पीडब्ल्यू श्याम लाल और गुलशन जब गवाह-बॉक्स में आए तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि दस्तावेज़ Ex.P-2 मृतक सरला के हाथ से लिखा गया है। यहां तक कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी इन गवाहों से इस दस्तावेज़ के लेखक के बारे में कोई विशेष प्रश्न/सुझाव नहीं दिया, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अनुसंधान अधिकारी एएसआई अर्जुन सिंह यादव ने इसे उनके घर की अलमारी से अपने कब्जे में ले लिया था । अनुसंधान अधिकारी (पीडब्ल्यू 6) ने अपनी जिरह में कहा है कि डायरी, पत्र और बॉल-पेन कमरे में पड़े थे और उन्होंने उक्त पत्र Ex.P-2 के लेखक के बारे में पूछताछ की और यह पता चला कि यह मृतक द्वारा ही लिखा गया था। इस कथन

को सुनी सुनाई साक्ष्य कहा जा सकता है, जिसकी कानून में कोई ग्राह्यता नहीं है क्योंकि मुख्य गवाहों से इसके लेखक के बारे में पूछा नहीं गया। श्याम लाल और गुलशन पीडब्लू को दिया गया मात्र एक सुझाव कि सरला ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने संबंधों के बारे में एक सुसाइड नोट छोड़ा है, हमें कहीं नहीं ले जाता है। इस पत्र के लेखक को या तो किसी गवाह को पेश करके साबित किया जा सकता है जिसने मृतक को लिखते और हस्ताक्षर करते देखा हो या उक्त दस्तावेज़ को मिलान के लिए सरला मृतक की स्वीकृत लिखावट के साथ किसी हस्तलेखन विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। दोनों ही स्थितियाँ गायब हैं। यहां तक कि अनुसंधान अधिकारी भी इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहते हैं कि उन्होंने उक्त पत्र के लेखक होने के बारे में किससे पुष्टि की थी। यदि इस दस्तावेज़ को प्रमाणित मान लिया जाता है, तो यह साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करने जैसा होगा । अनुसंधान अधिकारी सब कुछ नहीं हो सकता । इस प्रकार, अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि दस्तावेज़ Ex.P-2, तथाकथित सुसाइड नोट विचार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार बंसी लाल अपीलार्थी का बचाव बहुत कमजोर और नाजुक हो जाता है।"

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण कि प्रदर्शपी.2, सुसाइड नोट विचार करने योग्य नहीं था, के विपरीत विचार करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता है। अधीनस्थ न्यायालयों ने यह सही माना है कि इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। प्रदर्शपी.2, तथाकथित सुसाइड नोट में खुलासा किया गया है कि सरला (मृतक) ने शिव प्रकाश के साथ प्रेम संबंध विकसित होने के कारण आत्महत्या कर ली, इसका उल्लेख अनुसंधान अधिकारी अर्जुन सिंह, एएसआई (पीडब्लू.6) ने किया है, जहां उसके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में निम्नानुसार उल्लेखित करवाया गया है:-

> "कमरे की खिड़की में डायरी, पत्र और बॉल पेन पड़े थे। उन्होंने पत्र प्रदर्शपी.2 के लेखक के बारे में पूछताछ की थी और पता चला कि यह पत्र मृतक सरला द्वारा लिखा गया है।"

इस पत्र की बरामदगी के पंचनामे के गवाहों को परीक्षित नहीं करवाया गया है, जबकि वे गांव शिवरी के चौकीदार महाबीर सिंह और पूर्व सरपंच होशियार सिंह थे। श्याम लाल (पीडब्लू.4) और गुलशन (पीडब्लू.5) दोनों ने ऐसे किसी भी पत्र की बरामदगी के सुझाव से इनकार किया है और न ही सरला (मृतक) की लिखावट की पहचान के लिए उन्हें पत्र दिखाए गए थे। यहां तक कि, यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ

भी नहीं है कि वह शिक्षित थी। अर्जुन सिंह, एएसआई (पीडब्लू.6) ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि वह सरला (मृतक) की लिखावट जानता था और न ही उसने यह खुलासा किया है कि किसकी जानकारी पर उसने अनुमान लगाया था कि पत्र सरला (मृतक) द्वारा लिखा गया था। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में ऐसे पत्र की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और पत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इससे भी अधिक, इसका कोई संभावित मूल्य नहीं है क्योंकि यह कोई मामला नहीं है कि कथित सुसाइड नोट सरला (मृतक) की लिखावट में है।

14. स्कूटर की मांग लगातार बनी हुई थी क्योंकि श्याम लाल (पीडब्लू.4) और गुलशन (पीडब्लू.5) ने विशेष रूप से कहा था कि मांग केवल स्कूटर के संबंध में थी और कुछ नहीं। यदि यह आरोप झूठा होता, तो उक्त गवाह अन्य वस्तुओं का भी उल्लेख कर सकते थे जिनकी कथित तौर पर अपीलार्थी या उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मांग की गई थी। इसलिए इस मसले पर इन दोनों गवाहों की साक्ष्य की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी की और से दोनों गवाहों से लंबी जिरह की गई, हालांकि, उनसे ऐसा कुछ भी पता नहीं चल सका जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप झूठे प्रतीत होते हो।

15. धारा 498-ए के तहत मामले पर विचार करते समय , मृत्यु के समय की निकटता के दौरान क्रूरता साबित की जानी चाहिए और यह

निरंतर होनी चाहिए और अभियुक्त द्वारा इस तरह के निरंतर शारीरिक या मानसिक, उत्पीड़न हो कि मृतक का जीना दुर्भर हो जाए, जिससे कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। मौजूदा मामले में, अभियुक्त के आचरण ने मृतक सरला को शादी के एक साल बाद ही अपना वैवाहिक घर छोड़ने और लगातार 14 महीने तक अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया। पंचायत द्वारा दिए गए आश्वासन पर ही, कि अभियुक्त या उसके परिवार के सदस्य मृतक सरला को अपमानित नहीं करेंगे व उसके साथ क्रूरता नहीं करेंगे, वह अपने वैवाहिक घर में वापस आ गई। यह गुलशन (पीडब्लू.5) का विशिष्ट साक्ष्य है कि उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले, जब वह अपनी बहन से मिलने गया था, तो अपीलार्थी द्वारा स्कूटर की मांग की गई थी। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, हमें अपीलार्थी की ओर से की गई दलील में कोई दम नहीं दिखता कि मृत्यु के निकट स्कूटर की कोई मांग नहीं की गई थी।

16. ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 बी के प्रावधानों में यह उपधारणा की गई है कि अभियुक्त दहेज हत्या के लिए जिम्मेदार है, को प्रयोग में लेना होगा। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैं:-

> "दहेज हत्या के बारे में उपधारणा.--जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और

यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में दहेज की मांग को लेकर क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज के लिए हत्या की है।" (जोर दिया गया)

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि विधायिका ने अपने विवेक से "करेगा" शब्द का उपयोग किया है, जिसके कारण न्यायालय को यह अनिवार्य रूप से उपधारणा करनी होगी कि मृत्यु उस व्यक्ति द्वारा कारित की गई थी जिसने उसके साथ दहेज की मांग को लेकर या उसके सम्बन्ध में क्रुरता कारित की या तंग किया। यह प्रावधान धारा 113 ए साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान के विभिन्न है, जहां न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा कर सकेगा। इस प्रकार, उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए, उपधारणा को खण्डन करने का भार अभियुक्त पर है तथा धारा 113 बी से सम्बन्धित धारा 304 भारतीय दंड संहिता के मामले में साबित करने का भार विशेष व भारी रूप से अभियुक्त पर अंतरित हो जाता है।

17. एकमात्र शर्त यह है कि महिला की मृत्यु किसी प्राकृतिक परिस्थिति के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो; कि मृत्यु उसकी शादी के 7 साल के भीतर हुई हो या कारित की गई हो; तथा ऐसी महिला को दहेज की किसी मांग के संबंध में उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा हो।

18. इसलिए, यदि ऐसी मृत्यु के आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह उपधारणा कि अभियुक्त ने दहेज हत्या की है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि उनकी मृत्यु से पहले दिखाई गई अभिव्यक्ति को किसी भी क़ानून में परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, प्रत्येक मामले में, न्यायालय को जिन तथ्यों एवं परिस्थितियों में पीड़िता की मृत्यु कारित हुई, यह विश्लेषण करके तय करना होगा कि क्या दहेज कि मांग व क्रुरता व उत्पीड़न के कार्य व मृत्यु के मध्य कोई भी निकटतम संबंध है। (जरिये.टी. अरंटपेरुन्जोथी बनाम राज्य जरिये SHO, पांडिचेरी, AIR 2006 SC 2475; देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य, AIR 2008 SC 332; राजस्थान राज्य बनाम जग्गू राम, AIR 2008 SC 982; आनंद कुमार बनाम राज्य एमपी क, AIR 2009 एससी 2155; और उंदावल्ली नारायण राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, AIR 2010 एससी 3708)।

19. इस मामले में, स्पष्ट रूप से, सुसाइड नोट, प्रदर्शपी-2 जिसे सरला (मृतक) द्वारा लिखा होना बताया गया है, उसे अभियुक्त द्वारा धारा 313 सीऔरपीसी के तहत बयान लेखबद्ध करवाते समय अपने बचाव के रूप में लिया गया था। इस प्रकार, यह दायित्व उस पर था कि वह इस उपधारणा का, कि उसने दहेज हत्या की है, खण्डन करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करके अपना बचाव स्थापित करता। अपीलार्थी उस दायित्व का निर्वहन करने में बुरी तरह से विफल रहा।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलें खारिज की जाती हैं। अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई विशेष विशेषता नहीं है। अपील में योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

डी.जी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निधि बेनीवाल (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।